भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं 428
मंगलवार, 4 फ़रवरी, 2025/15 माघ, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

एनसीडीसी की सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना

†428. श्री दुलू महतोः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एनसीडीसी द्वारा शुरू की गई सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है;
(ख) सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना के तहत चयनित प्रशिक्षुओं के लिए अनुसरण किए जा रहे पात्रता और चयन मानदंड क्या हैं;
(ग) सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना देश में सहकारी क्षेत्र के विकास में किस प्रकार योगदान करती है;
(घ) सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास में मुख्य रूप से किन-किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है; और
(ङ) सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना देश में सामाजिक-आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क): सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाली एक सांविधिक निगम, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना प्रारंभ की । इस योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं: -

(i) पेशेवर स्नातकों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और सहकारी समितियों की भूमिका, योगदान और प्रभाव पर गहन ज्ञान प्रदान करने के अवसर प्रदान करना ।
(ii) पेशेवर स्नातकों को एनसीडीसी (NCDC) और सहकारी समितियों के संदर्भ और व्यावहारिक कामकाज को सीखने में सक्षम बनाना ।
(iii) पेशेवर स्नातकों को सहकारी व्यवसाय मॉडल से परिचित कराना और उन्हें स्टार्ट-अप सहकारी समितियों में शामिल करना ।
(iv) पेशेवर स्नातकों को सहकारी अधिनियमों के अधीन आयोजित एफपीओ में नेतृत्व और/या उद्यमी भूमिकाएँ लेने के लिए सक्षम बनाना ।
(v) जरूरतमंद सहकारी समितियों को व्यवसायिक योजनाएं, परियोजना की योजना और परियोजनाएं तैयार करने में सहायता प्रदान करना ।

(ख): पेशेवर योग्यता रखने वाले व्यक्ति, जैसे कृषि, डेयरी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मात्स्यिकी , बागवानी, वस्त्र, हथकरघा, या आईटी में स्नातक की डिग्री, सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना के लिए पात्र हैं । इसके अलावा, एग्री बिजनेस, सहकारी प्रबंधन, एम.कॉम, एमसीए, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, या परियोजना प्रबंधन में एमबीए कर रहे या पूरा कर चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं । इंटर आईसीएआई (ICAI) या इंटर आईसीडब्ल्यूए (ICWA) योग्यता वाले उम्मीदवारों पर भी विचार किया जाता है । सभी आवेदकों के पास यूजीसी (UGC)/एआईसीटीई (AICTE)/आईसीएआर (ICAR) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या संस्थानों के विभागाध्यक्ष द्वारा अनुशंसित योग्यता आवश्यक है । योजना के अंतर्गत इंटर्न के चयन की प्रक्रिया उनके बायोडेटा और प्रायोजक संस्थानों की अनुशंसा के आधार पर की जाती है ।

(ग): सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना देश में सहकारी क्षेत्र के विकास में कई तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देती है । यह सहकारी अधिनियम के अधीन आयोजित किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के भीतर युवा पेशेवर स्नातकों को नेतृत्व और उद्यमिता की भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने में सहायक है । यह योजना इन स्नातकों को सहकारी व्यवसाय मॉडल से परिचित कराती है, जिससे उन्हें स्टार्ट-अप सहकारी समितियों की स्थापना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । इसके अलावा, यह योजना जरूरतमंद सहकारी समितियों को व्यवसाय योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने में मूल्यवान सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी परिचालन क्षमताओं को मजबूत किया जा सके और इस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

(घ): प्रशिक्षुता कार्यक्रम पर सहकार मित्र योजना (एसआईपी) के अंतर्गत, एनसीडीसी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को एनसीडीसी के कामकाज के क्षेत्रों और सहकारी समितियों के संबंधित पहलुओं में सीखने का अनुभव प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है । एनसीडीसी सहकारी सिद्धांतों पर कार्यक्रमों की योजना तैयार करता और प्रोत्साहन देता है । एनसीडीसी की वित्त योजनाओं में कृषि प्रसंस्करण, बागवानी प्रसंस्करण, ऋण, निविष्टियां, कम्प्यूटरीकरण, भंडारण, कोल्ड चेन, कपड़ा, हथकरघा, चीनी, इथेनॉल, डेयरी, मात्स्यिकी , पशुधन, सुअर पालन, कुक्कुट पालन, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण आवासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिता, पशु देखभाल/स्वास्थ्य, आतिथ्य और परिवहन, ऊर्जा और विद्युत, अस्पताल, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि शामिल हैं ।

(ङ): सहकार मित्र प्रशिक्षुता योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को मूल्यवान फील्ड अनुभव प्रदान करके सहकारी संस्थाओं को युवा पेशेवरों के अभिनव विचारों से लाभ उठाकर सक्षम बनाना जो देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहयोग करे । यह पेशेवर स्नातकों को एनसीडीसी और सहकारी समितियों के कामकाज के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है, जिससे उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है । इसके अतिरिक्त, यह योजना शैक्षणिक संस्थानों के युवा पेशेवरों को सहकारी अधिनियमों के तहत स्थापित किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती है ।

******